-

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

"टीएचडीसीआईएल सीएसआर नीति"

टीएचडीसीआईएल सीएसआर नीति

(12.06.2023 से लागू)

विषय सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.0	प्रस्तावना	1
2.0	सीएसआर अभिदृष्टि एवं लक्ष्य	1
3.0	संस्थागत तंत्र	2
3.1	बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति	2
3.2	बोर्ड स्तर से नीचे की समिति	3
4.0	योजना	4
4.1	संसाधन	4
4.2	सीएसआर कार्यक्रमों का चयन	5
4.3	अवस्थितियों एवं लाभार्थियों का चयन	7
5.0	कार्यान्वयन	7
6.0	निगरानी	8
7.0	रिपोर्टिंग	9
8.0	प्रभाव आंकलन	9
9.0	सामान्य प्रावधान	10
	अनुलग्नक-I कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियां	11
	अनुलग्नक-II बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	13

1.0 प्रस्तावना

1.1 वर्ष 2008, में टीएचडीसीआईएल ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति बनाई थी जिसे कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व-सामुदायिक विकास (सीएसआर-सीडी) योजना के नाम से जाना जाता है। यह वित्त वर्ष 2008-09 में अंगीकृत की गई थी। अप्रैल, 2010 में डीपीई द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाने के परिणामस्वरुप टीएचडीसी सीएसआर-सीडी स्कीम-2010 शुरू की गई थी। इसी क्रम में सतत विकास के संबंध में वर्ष 2012 में अलग से नीति तैयार की गई थी जो सितंबर-2011 में जारी किए गए डीपीई के दिशानिर्देशों पर आधारित थी। पूर्वोक्त डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास दो अलग-अलग विषय समझे जाते थे और इसलिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मूल्यांकन के प्रयोजन से इन पर अलग-अलग कार्रवाई की जाती थी। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास में घनिष्ठ संबंध होने के कारण डीपीई ने सीपीएसई के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सततता के बारे में 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी संयुक्त दिशानिर्देश तैयार किए हैं। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसरण में बोर्ड के अनुमोदन से टीएचडीसीआईएल सीएसआर एवं सततता नीति-2013 जारी की गई थी।

1.2 कंपनी अधिनियम, 2013 अगस्त, 2013 में अधिनियमित हुआ और कंपनी अधिनियम के भाग-135 में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का उल्लेख है जो सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू हैं। वे कंपनियां जो सकल आय, टर्नओवर या सकल लाभ की बिक्री की सीमाओं के आधार पर पात्रता मापदंड के अंतर्गत आती हैं जैसा की कंपनी अधिनियम के भाग 135(1) में दिया गया है, उन्हें सीएसआर गतिविधियां संचालित करने की आवश्यकता होगी। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी नियम 2014 (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति), 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होंगे। डीपीई ने 01 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से भी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

1.3 कंपनी अधिनियम एवं सीएसआर नियमों की अपेक्षानुसार सकल आय, टर्नओवर या सकल लाभ की बिक्री की सीमाओं के आधार पर पात्रता रखने वाली सभी कंपनियां, कंपनी अधिनियम की अनुसूची-VII में यथानिर्दिष्ट संचालित की जाने वाली गतिविधियों के लिए बोर्ड के अनुमोदन से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्माण करेगी। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सीपीएसई को निदेशक मंडल के अनुमोदन से कंपनी की सीएसआर एवं सततता नीति भी अंगीकार करनी होगी। इस नीति के जारी होने के साथ ही बोर्ड के अनुमोदन से जारी टीएचडीसी सीएसआर एवं सततता नीति-2021 भी लागू रहेगी।

2.0 सीएसआर अभिदृष्टि एवं लक्ष्य

2.1 सीएसआर अभिदृष्टि

सामाजिक रुप से उत्तरदायी कारपोरेट, समाज एवं समुदाय में मूल्य निर्माण को निरंतर बढ़ाना तथा सतत विकास को प्रोत्साहित करना।

2.2 लक्ष्य

- परस्पर संचार के माध्यम से प्रमुख हितधारकों के साथ संबंध आधारित सतत मूल्य स्थापित करना।
- मानवीय दृष्टिकोण के साथ सीएसआर कार्यक्रम संचालित करना।
- हितधारकों के साथ सीएसआर एवं सततता पहलों को पारदर्शिता के साथ शेयर करना।
- आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय सतत तरीके से अपना व्यवसाय चलाने के लिए संगठन में सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता बढ़ाया जाना सुनिश्चित करना।
- इसके प्रकार्यात्मक केंद्रों में तथा उनके आस-पास समुदायों के लाभ हेतु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सीएसआर कार्यक्रम संचालित करना तथा जिसके परिणामस्वरुप स्थानीय जनता के जीवन की गुणवत्ता एवं आर्थिक भलाई में वृद्धि हो सके।
- समाज के वंचित, दबे कुचले, तिरस्कृत एवं कमजोर तबको की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समेकित विकास को प्रोत्साहित करना।
- हितधारकों के मध्य सीएसआर पहलों के माध्यम से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की गुडविल एवं गर्व उत्पन्न करना और कारपोरेट इकाई के रूप में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सकारात्मक एवं सामाजिक जिम्मेदारी की छवि को सुदृढ़ करने में सहायता करना।

3.0 संगठनात्मक तंत्र

3.1 बोर्ड स्तरीय सीसीआर समिति

3.1.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (1) के क्रम में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की बोर्ड स्तर पर गठित की गई कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर समिति) होगी। सीएसआर समिति, समिति के अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक का चयन करेगी। कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव होंगे।

3.1.2 सीएसआर समिति कंपनी की सीएसआर नीति का निर्माण करेगी और इस पर बोर्ड के अनुमोदन हेतु संस्तुति करेगी जिसमें कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII से संबंधित टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियां एवं उन पर होने वाले व्यय की राशि इंगित हो।

3.1.3 सीएसआर समिति सीएसआर नीति की समय-समय पर निगरानी करेगी और कंपनी के सीएसआर कार्यक्रम का संचालन करेगी ।

3.1.4 सीएसआर समिति बोर्ड द्वारा निर्धारित या किसी विधि या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या और आवृत्ति के अध्यधीन जितनी बार आवश्यक हो, बैठकें करेगी।

.....;.

**** नीति में प्रयोग किए गए सीएसआर कार्यक्रम में सीएसआर परियोजनाएं एवं सीएसआर गतिविधियां शामिल हैं।**

3.1.5 कंपनी की सीएसआर नीति के अनुपालन में सीएसआर समिति एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और बोर्ड को अपनी संस्तुतियां देगी, जिसमें निम्नलिखित तथ्य शामिल होंगे:

(क) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची जिन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में क्रियान्वित करने की मंजूरी दी गई है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देश जैसे बिंदु संख्या 5.0 में निर्दिष्ट है;

(ग) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निधि के उपयोग के तौर-तरीके और कार्यान्वयन की अनुसूची;

(घ) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग प्रक्रियाविधि; और

(ड़) कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यक और प्रभावी मूल्यांकन का विवरण, यदि कोई हो:

बशर्ते कि बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, सीएसआर समिति की संस्तुति के अनुसार, उसके अनुपालन में उचित औचित्य के आधार पर ऐसी योजना में बदलाव कर सकता है।

3.2 बोर्ड स्तर से नीचे की समिति

3.2.1 कारपोरेट कार्यालय में सीएसआर प्रकार्य का प्रमुख अधिकारी नामोनिर्दिष्ट नोडल अधिकारी होगा जो बोर्ड स्तर के नीचे की समिति(बीबीएलसी) की अध्यक्षता करेगा। बीबीएलसी के अन्य सदस्य सीएसआर समिति के द्वारा निर्णित विभिन्न विभागों/यूनिटों अर्थात सामाजिक एवं पर्यावरण, वित्त इकाई से लिए जाएंगे, जैसा सीएसआर समिति निर्धारत करे। संगठन के बाहर से सीएसआर एवं सततता विकास के क्षेत्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ भी सेवा-टीएचडीसी के कार्यो सहित बीबीएलसी में नामोनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3.2.2 बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति में नोडल अधिकारी विशेष स्थाई आमंत्रिती होंगे।

3.2.3 नोडल अधिकारी के पास समन्वय कार्य में उनकी सहायता करने के लिए अधिकारियों की एक टीम होगी। नोडल अधिकारी की सहायता करने के लिए टीम की संरचना सीएसआर के निदेशक प्रभारी के द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से परामर्श कर की जाएगी।

3.2.4 बीबीएलसी पूरे सीएसआर कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी होगी तथा इसके प्रकार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-

- सीएसआर कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव, स्थान, प्रत्येक कार्यक्रम का प्राक्कलन एवं वार्षिक बजट तैयार करना एवं इसे सीएसआर समिति एवं बोर्ड के अनुमोदन के विचारार्थ प्रस्तुत करना।

- सीएसआर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं निगरानी।

- बेसलाइन/आवश्यकता आंकलन सर्वेक्षण एवं पूर्ण हो गए कार्यक्रमों का प्रभाव मूल्यांकन।

- सीएसआर समिति के माध्यम से बोर्ड के समक्ष रखी जाने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

4.0 नियोजन

4.1 संसाधन

4.1.1 टीएचडीसीआईएल प्रति वर्ष यह सुनिश्चित करेगी कि पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% उसकी सीएसआर नीति के अनुपालन में व्यय किया जाए।

यदि कंपनी इतनी राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो बोर्ड को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारण प्रस्तुत करने होंगे और खर्च न की गई राशि बिंदु संख्या 4.2.3, में निर्दिष्ट किसी चालू परियोजना से संबंधित नहीं होनी चाहिए एवं इस प्रकार की खर्च न की गई राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करना होगा।

यदि कंपनी बिंदु संख्या 4.2.3 में वर्णित किसी चालू परियोजना के लिए निर्धारित ऐसी राशि खर्च करने में विफल रहती है तो कंपनी द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुपालन में किया गया खर्च, वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर कंपनी द्वारा उस वित्तीय वर्ष के लिए खोले जाने वाले एक विशेष खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसे किसी भी अनुसूचित बैंक में अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता कहा जाएगा, और ऐसी राशि कंपनी के दिशा-निर्देश के अनुसार खर्च की जाएगी। ऐसे अंतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह न करने पर, कंपनी इसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर देगी।

यदि कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत प्रदान की गई आवश्यकताओं से अधिक राशि खर्च करती है (जिसमें सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष शामिल नहीं होगा), तो कंपनी ऐसी अतिरिक्त राशि को कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत खर्च करने की आवश्यकता के सापेक्ष तीन तत्काल उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों तक समायोजित कर सकती है, बशर्ते बोर्ड इस आशय का प्रस्ताव पारित करे।

.....

[2]**शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम की धारा 198 के अनुसार की जाएगी, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 2(ज) के साथ पढ़ें।**

4.1.2 कम से कम तीन वित्तीय वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड वाले संस्थानों के माध्यम से कंपनी के सीएसआर प्रभाग के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेंसियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, सेमिनार, सम्मेलन जैसे क्षमता विकास पर किया जाने वाला व्यय सीएसआर व्यय के रूप में मान्य होगा। सीएसआर व्यय के अंतर्गत क्षमता विकास पर प्रशासनिक ओवरहेड्स भी शामिल है, किसी भी वर्ष कुल सीएसआर व्यय के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

4.1.3 बजट और वार्षिक सीएसआर योजना को सीएसआर समिति की अनुशंसा पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

4.1.4 प्रशासनिक ओवरहेड्स में कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत 'सामान्य प्रबंधन और प्रशासन' के लिए किए गए खर्च शामिल होंगे, लेकिन किसी विशेष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना कार्यक्रम के डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन पर सीधे किए गए खर्च शामिल नहीं होंगे। ऐसे प्रशासनिक ओवरहेड्स वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सीएसआर व्यय के 5% से अधिक नहीं होंगे।

4.2 सीएसआर कार्यक्रमों का चयन

4.2.1 सीएसआर कार्यक्रमों का चयन अनुलग्नक-1 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथा निर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित होना चाहिए। अनुसूची- VII में प्रविष्टियां सरलतापूर्वक परिभाषित होनी चाहिए ताकि विषयों के सार को समझा जा सके।

4.2.2 सीएसआर कार्यक्रमों के निष्पादन के मूल भाव को दृष्टिगत रखते हुए टीएचडीसीआईएल की सीएसआर गतिविधियों का शीर्षक "टीएचडीसी सहृदय" (मानवीय हृदय के साथ कारपोरेट) होगा। टीएचडीसीआईएल सीएसआर कार्यक्रम संचालित करने के लिए फोकस किए गए क्षेत्रों का शीर्षक उनके उद्देश्य के द्वारा निम्नानुसार दिया जाता है:

i. टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य) - पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा पेयजल परियोजनाएं
ii. टीएचडीसी जागृति (सफल भविष्य के लिए पहल) - शिक्षा पहल
iii. टीएचडीसी दक्ष (कौशलता) - आजीविका उत्पादन एवं कौशलता विकास पहल
iv. टीएचडीसी उत्थान (प्रगति) - ग्रामीण विकास
v. टीएचडीसी समर्थ (सशक्तिकरण) - सशक्तिकरण पहल
vi. टीएचडीसी सक्षम(सक्षम) - वृद्ध एवं विकलांगों की सुरक्षा
vii. टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण) - पर्यावरण सुरक्षा पहल
viii. टीएचडीसी विरासत (संस्कृति) - कला एवं संस्कृति संरक्षण एवं प्रोत्साहन पहल
ix. टीएचडीसी क्रीड़ा(खेल) - खेल-कूद प्रोत्साहन पहल

4.2.3 जितना अधिक संभव हो, सीएसआर कार्यक्रम परियोजना मोड में संचालित किए जाएंगे जिसके लिए निष्पादन के चरणों की योजना बनाना, लक्ष्य नियत करना, आवंटित बजट के भीतर आवश्यक संसाधन और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए निश्चित समयावधि होती है। आसान कार्यान्वयन के लिए दीर्घावधि सीएसआर योजनाओं को मध्यावधि एवं लघुवधि (अधिकतम एक वर्ष की अवधि) योजनाओं में रूपांतरित किया जाएगा। कंपनी द्वारा अपने सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए शुरू की गई एक बहु-वर्षीय परियोजना, जिसकी समय-सीमा उस वित्तीय वर्ष को छोड़कर तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें इसे प्रारंभ किया गया था, और इसमें ऐसी परियोजना शामिल होगी जिसे शुरू में बहु-वर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था, लेकिन जिसकी अवधि उचित औचित्य के आधार पर बोर्ड द्वारा एक वर्ष से अधिक बढ़ा दी गई है, उसे 'चालू परियोजनाओं' के रूप में माना जाएगा।

4.2.4 यदि आवश्यक हो, तो टीएचडीसीआईएल अपने सीएसआर कार्यक्रम संचालित करने के लिए अन्य कंपनियों/सीपीएसयूएस के साथ संयोजन करेगी और अधिक सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव के लिए संसाधनों एवं क्षमताओं को एक दूसरे के साथ बांटेगी। अन्य कंपनियों के साथ संयोजन इस प्रकार किया जाएगा की टीएचडीसीआईएल सीएसआर नियमों के अनुसार ऐसे कार्यक्रमों को अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हो।

4.2.5 सीएसआर कार्यक्रम कंपनी की व्यापारिक नीतियों एवं रणनीतियों के साथ संरक्षित होंगे और ऐसे कार्यक्रमों का चयन किया जाएगा जो इनहाउस विशेषज्ञता के माध्यम से बेहतर रूप से कार्यान्वित किए जा सकें और उनकी निगरानी की जा सके। जिससे सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रमुख सक्षमताओं एवं संसाधन क्षमता का दोहन हो सके।

4.2.6 बोर्ड के द्वारा अनुमोदित "टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार रणनीति" में कंपनी के द्वारा संचालित की जाने वाली/संचालित की गई सीएसआर पहलओं के संबंध में विचारों एवं सुझावों के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ निरंतर संचार करना परिकल्पित है। हालांकि, सीएसआर गतिविधियों के चयन एवं कार्यान्वयन में अंतिम निर्णय बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति का होगा।

4.3 स्थानों एवं लाभार्थियों का चयन

4.3.1 सीएसआर गतिविधियों के स्थानों का चयन करने में स्थानीय क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी। इस उद्देश्य से स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा निम्नानुसार होगी:-

क्रम सं	**श्रेणी**	**स्थानीय क्षेत्र**
क	स्थापना एवं कार्यालय	10 किमी. की परिधि के भीतर का क्षेत्र
ख	जल विद्युत परियोजनाएं	परियोजना घटकों के अंतर्गत आने वाले सभी विकास क्षेत्र
ग	ताप परियोजनाएं	50 किमी. की परिधि के भीतर का क्षेत्र
घ	पवन/सौर परयोजनाएं	10 किमी. की परिधि के भीतर का क्षेत्र

ड़	पुनर्स्थापन /विस्थापित स्थल	इस प्रकार के स्थल की भौगोलिक सीमाएं
च	कोयला खदान	ढुलाई कार्य सहित कोयला खदान/परियोजना स्थल के अंतर्गत आने वाले सभी विकास क्षेत्र

4.3.2 वार्षिक सीएसआर बजट का कम से कम 65% स्थानीय क्षेत्र एवं कंपनी के व्यापारिक प्रचालनों एवं गतिविधियों से सीधे तौर पर प्रभावित हितधारकों के लिए संचालित किए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया जाएगा।

4.3.3 स्थानीय क्षेत्र को वरीयता देने के बाद, टीएचडीसीआईएल देश में किसी भी जगह सीएसआर कार्यक्रम संचालित करेगी।

4.3.4 किसी भी सीएसआर कार्यक्रम के चयन के लिए बेसलाइन/आवश्यकता आंकलन सर्वेक्षण वांछनीय होगा। सभी मामलों में बेसलाइन सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, यदि स्वयं के संसाधनों से या किसी विशेषज्ञ एजेंसी से आवश्यकता आंकलन कराने के पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण हों या मान्यता प्राप्त प्राधिकारण या द्वितीयक श्रोत से इस संबंध में विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हो।

5.0 कार्यान्वयन

5.1 सीएसआर कार्यक्रम मुख्यतः दो कंपनी प्रायोजित/स्थापित पंजीकृत समितियों, सेवा- टीएचडीसी और टीएचडीसी शिक्षा समिति(टीईएस) के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे। सीएसआर कार्यक्रम टीएचडीसी की परियोजना/यूनिटों के द्वारा भी संचालित किए जा सकते हैं।

5.2 टीएचडीसीआईएल सीधे कंपनी की परियोजनाओं/यूनिटों एवं उनकी मानव शक्ति एवं संसाधनों के माध्यम से सीधे सीएसआर गतिविधि का कार्यान्वयन कर सकती है यदि वह महसूस करती है कि वह ऐसे कार्यक्रमों को निष्पादित करने की संगठनात्मक क्षमता रखती है।

5.3 सीएसआर कार्यक्रम अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी के माध्यम से, या पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से भी संचालित किए जा सकते हैं, जिन्हें धारा 10 के खंड (23सी) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (के माध्यम से) के तहत छूट दी गई है तथा धारा 12 ए के तहत पंजीकृत किया गया है और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 80जी के तहत अनुमोदित किया गया है। यह टीएचडीसीआईएल के द्वारा अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ स्थापित किया गया है या ऐसी कोई कंपनी जिसे अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित किया गया है या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी; या संसद या राज्य विधायिका के अधिनियम के तहत स्थापित कोई इकाई[3].,

[3] **'इकाई' शब्द का तात्पर्य संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक निकाय से होगा जो अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों को करने के लिए होगा।**

या अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या धारा 10 के खंड (23 सी) के, उप-खंड (iv), (v), (vi) के तहत छूट प्राप्त या धारा 12 ए के तहत पंजीकृत सोसायटी और आयकर अधिनियम, 1961 के 80 जी के तहत अनुमोदित और समान गतिविधियों को करने में कम से कम तीन साल का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड हो, के माध्यम से संचालित किए जा सकते हैं और टीएचडीसीआईएल इन इकाईयों के माध्यम से किए जाने वाले कार्यक्रम तथा ऐसे कार्यक्रमों पर धन के उपयोग के तौर-तरीके व रिपोर्टिंग तंत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट करेगी।

5.4 जब भी वाह्य एजेंसियों के साथ सलंग्नता एवं भागीदारी हो तो उनकी साख का ध्यान रखा जाए ताकि केवल विश्वसनीय, विशेषज्ञ एजेंसियां जो कि सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विशेषज्ञता एवं आवश्यक क्षमताएं रखती हों, उन्हीं का चयन किया जाए।

5.5 वाह्य विशेषज्ञ एजेंसियों को संलग्न करना टीएचडीसीआईएल के विवेक पर निर्भर करता है लेकिन सरकारी मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्तशासी संस्थानों या राष्ट्रीय/स्थानीय सीएसआर हब के द्वारा बनाई गई ऐसी एजेंसियों के उपलब्ध पैनल में जुटी इकाईयों को वरीयता दी जाएगी।

5.6 सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विशेष ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता होती है जिसके लिए वाह्य एजेंसियों की सेवाएं ली जा सकती हैं। कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के डिजाइन, निगरानी और मूल्यांकन के साथ-साथ सीएसआर के लिए अपने स्वयं के कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों को भी शामिल कर सकती है।

5.7 किसी भी सीएसआर गतिविधि को करने के लिए कंपनी द्वारा पहचानी/चयनित प्रत्येक इकाई को सीएसआर-1 फार्म के माध्यम से केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत किया जाएगा और उसके पास 01 अप्रैल, 2021 से मान्य विशिष्ट सीएसआर पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।

6.0 निगरानी

6.1 सीएसआर कार्यक्रमों की निगरानी योजना के साथ-साथ प्रगति के कार्यान्वयन के अनुरूप की जाएगी।

6.2 संचालित किए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों का पारदर्शी एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के द्वारा एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र बनाया जाएगा जिसमें निम्नलिखित संकेतांको का प्रयोग कर विभिन्न स्तरों पर आवधिक निगरानी की जाएगी।

i. मासिक प्रगति रिपोर्ट
ii. तिमाही प्रगति रिपोर्ट
iii. वीडियो कांफ्रेसिंग

iv. परियोजना स्थल दौरे

v. फोटोग्राफ, फिल्म एवं वीडियो सहित दस्तावेजी सबूत

vi. अन्य इनहाउस निगरानी तंत्र जो कि सीएसआर समिति द्वारा निर्धारित किए जाएं

vii हितों के टकराव को दूर करने के लिए पूरी सुरक्षा के साथ निगरानी हेतु तृतीय पक्ष को सम्मिलित किया जा सकता है

6.3 चल रही परियोजना के मामले में, कंपनी का बोर्ड अनुमोदित समयसीमा और वर्ष-वार आवंटन के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और उसके पास समग्र रूप से परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए अनुमत समयावधि में संशोधन, यदि कोई हों, करने का प्राधिकार होगा।

6.4 कंपनी का बोर्ड स्वयं की संतुष्टि करेगा कि इस प्रकार वितरित धनराशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और तरीके से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा।

7.0 रिपोर्टिंग

7.1 मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशक प्रभारी, सीएसआर को प्रस्तुत की जाएगी।

7.2 सीएसआर की तिमाही प्रगति रिपोर्ट बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति के द्वारा विचार करने के बाद बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

7.3 कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड की रिपोर्ट के भीतर सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक 2 में निर्दिष्ट विवरणों के साथ सम्मिलित होगी और इसे टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर भी डिस्प्ले किया जाएगा।

8.0 प्रभाव आकलन

01 करोड़ रुपए या उससे ऊपर के सभी पूर्ण हुए सीएसआर कार्यक्रम का प्रभाव आंकलन एक वर्ष के भीतर विशेषज्ञ वाह्य एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। प्रभाव आंकलन रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी एवं सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी। प्रभाव आंकलन करने पर होने वाले व्यय को उस वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के व्यय के रूप में दर्ज किया जाएगा, जो उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर व्यय का 2 प्रतिशत या पचास लाख रुपये, जो भी उच्च हो, से अधिक नहीं होगा।

9.0 सामान्य प्रावधान

9.1 टीएचडीसीआईएल, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों, सीएसआर नियम और इसके बाद के स्पष्टीकरणों एवं संशोधनों जैसा कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय/लोक उपक्रम विभाग द्वारा अधिसूचित के अनुसार संरेखित/आधारित सभी सीएसआर गतिविधियां एवं कार्यक्रम निष्पादित करेगी।

9.2 सीएसआर समिति की संस्तुतियों के आधार पर बोर्ड के अनुमोदन से एक वर्ष की अवधि के दौरान यदि आवश्यक हो, तो वार्षिक सीएसआर योजना में पहले से ही समाविष्ट सीएसआर गतिविधियों के अतिरिक्त नए सीएसआर कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं

9.3 सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों में से आने वाला अधिशेष कंपनी के व्यापार के लाभ के भाग का निर्माण नहीं करेगा एवं और वापस उसी परियोजना में लगा दिया जाएगा या अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया जाएगा एवं कंपनी की सीएसआर नीति और वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में खर्च किया जाएगा या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर ऐसी अधिशेष राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किया जाएगा।

9.4 मैराथन/अवार्ड/चैरीटेबिल अंशदान/विज्ञापन/टीवी कार्यक्रम में प्रायोजक आदि सीएसआर व्यय के भाग के रूप में पात्र नहीं होगा।

9.5 अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की राशि में अंशदान पर सीएसआर गतिविधि के समान विचार नहीं किया जाएगा।

9.6 सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधियां जो केवल टीएचडीसीआईएल के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लाभ के लिए हों, उन पर सीएसआर गतिविधियों के समान विचार नहीं किया जाएगा।

9.7 केवल भारत में संचालित किए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों पर ही आवश्यक 2% व्यय के उद्देश्य से विचार किया जाएगा । हालाँकि, भारत के बाहर भारतीय खेल कर्मियों का प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या भारत का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उक्त व्यय करने की अनुमति होगी।

9.8 टीएचडीसीआईएल की प्रत्येक सीएसआर परियोजना/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी टीएचडीसीआईएल की आचार नीति एवं सचेतक नीति के प्रावधानों से बंधी होगी।

****

अनुलग्नक-1
(पैरा 4.2.1 देखें)

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियां

I भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन " सुरक्षात्मक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ावा देना " तथा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित स्वच्छता तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

II विशेषतया बच्चों, महिलाओं, प्रोढ़ तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष शिक्षा एवं रोजगार परक व्यवसायिक कुशलता सहित शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं आजीविका वृद्धि परियोजनाएं लागू करना।

III लिंग समानता को प्रोत्साहित करना, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं एवं अनाथों के लिए घर एवं छात्रावास स्थापित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम एवं डे केयर सेंटर बनाना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करना। साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की असमानताओं को कम करने के लिए कार्य करना ।

IV पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन, जीवों एवं पादपों का संरक्षण करना, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मृदा, पवन एवं जल की गुणवत्ता बनाएं रखना, गंगा नदी की सफाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित क्लीन गंगा निधि में अंशदान करना ।

V ऐतिहासिक महत्व प्राप्त भवनों एवं स्थानों के पुनर्स्थापन सहित प्राकृतिक विरासत, कला एवं संस्कृति की सुरक्षा। सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करना, पारंपारिक कला एवं हस्तशिल्प को प्रोत्साहित कर विकास करना।

VI सशस्त्र बलों के जवानों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के जवानों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लाभ के लिए कार्य करना।

VII ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेलों, भारतीय पैरालंपिक एवं ओलंपिक स्पोर्टस को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण।

VIII केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष तथा प्रधानमंत्री आपातकालीन निधि (पीएम केयर फंड) और अन्साय निधि सामाजिक, आर्थिक विकास एवं सहायता तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं जनजातीय अन्य पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के कल्याण के लिए एवं अन्य कोर्स में अंशदान।

IX (क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान तथा

(ख) सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और स्वायत्त निकाय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान, और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), फार्मास्यूटिकल्स विभाग,

आयुर्वेद मंत्रालय, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य निकाय मंत्रालय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने वालों को योगदान देना है।

X ग्रामीण विकास परियोजनाएं।

XI जुग्गी बस्ती क्षेत्र का विकास।

व्याख्या: स्लम क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे किसी क्षेत्र से है जो कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा किसी विधि के तहत घोषित किया क्षेत्र है।

xii आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं।

उपरोक्त प्रविष्टियों को अनुसूची VII में 24.08.2020 तक अधिसूचित संशोधनों को शामिल करते हुए अद्यतन किया गया है और सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूची -VII में परिवर्तन के साथ समय-समय पर संशोधन के अधीन होगा।

अनुलग्नक-2
(पैरा 7.3 देखें)

01, अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा
2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक का पदनाम/प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया।

3. कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं की वेब-लिंक दें।

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आंकलन के वेब-लिंक के साथ क्रियान्वयन सारांश, यदि लागू हों, तो प्रदान करें।

5. (क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।
   (ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।
   (ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।
   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो।
   (ड़) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)-(घ)]।

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजना और चालू परियोजना के अलावा दोनों)।
   (ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स में व्यय की गई राशि।
   (ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो।
   (घ) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)]।
   (ड़) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई एवं अव्ययित कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)]।

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि (रु. में)	अव्ययित राशि **(रु.)**				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		**धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में धनराशि अंतरित नहीं की जाएगी।**		
	राशि	**अंतरण की तिथि**	**फंड का नाम**	राशि	**अंतरण की तिथि**

(च) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई है:

क्रम सं.	**विवरण**	**राशि(रु.में)**
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के शुद्ध लाभ का 02 प्रतिशत	
(ii)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि	
(iii)	वित्तीय वर्ष [(ii)-(i)] में व्यय की गई अतिरिक्त राशि	
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो।	
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों [(iii)-(iv)] में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि	

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	**विगत वित्तीय वर्ष**	**धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में**	**धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु.में)**	**वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु में)**	**धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो**		**उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)**	**कमी यदि कोई हो।**
					राशि (रु.में)	अंतरण की तिथि		
1	वित्तीय वर्ष-1							
.2	वित्तीय वर्ष -2							
3	वित्तीय वर्ष -3							

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई या अर्जित की गई है:

◯ हां ◯ नहीं

यदि हां, तो निर्मित/अधिग्रहित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.सं	कमी संपत्ति या परिसम्पत्ति विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसम्पत्ति का पिनकोड	अर्जन की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी के लाभार्थी इकाई/प्राधिकरण का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो।	नाम	पंजीकृत पता

(सभी कॉलम को राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाए अनुसार जैसे, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जाए)

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें।

हस्ताक्षर/- (मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक).	हस्ताक्षर (अध्यक्ष सीएसआर समिति).	हस्ताक्षर/- [धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां भी लागू हो).